D Set apart

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक / नियमन / विधि / पंरा / 2017 / 1192 जयपुर,दि0 15.9.2017
(15-9-17)

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः– राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज–6 / 2000 / 10 दिनांक 07.9.2017 ।

राजस्व विभाग के प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा–92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि मे से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस परिपत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्बन्धित ज़िला कलेक्टर के निर्देशन में की जानी है ।

ज़िला कलेक्टर द्वारा परिपत्र अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये ज़ायेंगे । इस सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:–

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना

(4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

(नवीन महाजन)